रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-ए.पी.-अ.-09072021-228192
CG-AP-E-09072021-228192

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 280]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 8, 2021/आषाढ़ 17, 1943
No. 280]	NEW DELHI, THURSDAY, JULY 8, 2021/ASHADHA 17, 1943

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 7 जुलाई, 2021

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियाँ)

(संशोधन) विनियम, 2021

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/6/178/2021.—बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 3 और 6ए के साथ पठित धारा 114ए की उप-धारा 2 के खंड (ए), (डीबी) और (जेडडी) तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धाराओं 14 और 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

उद्देश्यः इन विनियमों का उद्देश्य भारतीय बीमा कंपनियों के लिए लागू विभिन्न विनियमों के उपबंधों को तदनुरूपी विनियमों में संशोधन करने के द्वारा, जिनका उल्लेख यहाँ इन विनियमों में किया गया है, भारतीय बीमा कंपनियाँ (विदेशी निवेश) नियम, 2015 के साथ पठित बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2021 के अनुरूप बनाना है।

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः**

   i. ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियाँ) (संशोधन) विनियम, 2021 कहलाएँगे।

   ii. ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

अध्याय I

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण)

विनियम, 2000 का संशोधन

2. विनियम 5 के बाद, निम्नलिखित विनियम निविष्ट किये जाएँगे, अर्थात् :-

"निदेशकों, प्रबंधन के प्रमुख व्यक्तियों, आदि के लिए निवासी भारतीय नागरिकता की अपेक्षा

5क. *विदेशी निवेश से युक्त भारतीय बीमा कंपनी में, --*

(क) उसके अधिकांश निदेशक,

(ख) उसके प्रबंधन के अधिकांश प्रमुख व्यक्ति, और

(ग) उसके बोर्ड के अध्यक्ष, उसके प्रबंध निदेशक और उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी में से कम से कम एक, निवासी भारतीय नागरिक होंगे।

स्पष्टीकरणः इस विनियम के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति "निवासी भारतीय नागरिक" का अर्थ वही होगा जो भारतीय बीमा कंपनियाँ (विदेशी निवेश) नियम, 2015 के नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (ण) में इसे दिया गया है।

उनचास प्रतिशत से अधिक विदेशी निवेश के लिए अपेक्षाएँ

5ख. *उनचास प्रतिशत से अधिक विदेशी निवेश से युक्त भारतीय बीमा कंपनी में, --*

(क) ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए जिसके लिए ईक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान किया जाता है और जिसके लिए किसी भी समय शोधक्षमता मार्जिन शोधक्षमता के नियंत्रण स्तर के 1.2 गुना से कम है, उक्त वित्तीय वर्ष के लिए निवल लाभ के पचास प्रतिशत से अन्यून राशि सामान्य आरक्षित निधि (रिज़र्व) में प्रतिधारित की जाएगी; तथा

(ख) उसके निदेशकों में से पचास प्रतिशत से अन्यून निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे, जब तक कि उसके बोर्ड का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक न हो, जिस स्थिति में उसके बोर्ड का कम से कम एक-तिहाई भाग स्वतंत्र निदेशकों से युक्त होगा।"

3. विनियम 10 में,

क. उप-विनियम (2) के खंड (ङ) में शब्द **"उनचास प्रतिशत"** को शब्द **"चौहत्तर प्रतिशत"** से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

ख. उप-विनियम (2) में, खंड (च) और (छ) हटाये जाएँगे।

ग. उप-विनियम (2) में खंड (च) के बाद, निम्नलिखित खंड निविष्ट किये जाएँगे, अर्थात् :

"(चक) यदि आवेदक के पास विदेशी निवेश है, तो यह प्रमाणित करते हुए कि विनियम 5क की अपेक्षा का अनुपालन किया जाएगा, आवेदक के प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा पूर्णकालिक निदेशक और प्रवर्तकों द्वारा एक शपथ-पत्र।"

घ. उप-विनियम (2) में, खंड (छ) के बाद, निम्नलिखित खंड निविष्ट किये जाएँगे, अर्थात् :

"(छक) यदि आवेदक के पास उनचास प्रतिशत से अधिक विदेशी निवेश है, तो यह प्रमाणित करते हुए कि विनियम 5ख की अपेक्षा का अनुपालन किया जाएगा, आवेदक के प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा पूर्णकालिक निदेशक और प्रवर्तकों द्वारा एक शपथ-पत्र।"

4. विनियम 29, 30 और 31 हटाये जाएँगे।

5. विनियम 31 के बाद, निम्नलिखित विनियम निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :-

"31क. *(1) भारतीय बीमा कंपनियाँ (विदेशी निवेश) संशोधन नियम, 2021 के प्रारंभ की तारीख को अथवा उससे पहले विद्यमान विदेशी निवेश से युक्त प्रत्येक भारतीय बीमा कंपनी उक्त नियमों के प्रारंभ से एक वर्ष के अंदर विनियम 5क के उपबंधों की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी।"*

(2) विनियम 5क के उपबंध के अनुपालन की पुष्टि करते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य अनुपालन अधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित एक वचन-पत्र निदेशक बोर्ड की उस बैठक, जिसमें ऐसे अनुपालन की पुष्टि की गई हो, की तारीख से 45 दिन के अंदर भारतीय बीमा कंपनी द्वारा फाइल किया जाएगा।

(3) प्रत्येक वचन-पत्र के साथ निम्नलिखित की प्रस्तुति की जाएगी:

(i) उप-विनियम (1) के अनुपालन की पुष्टि करते हुए निदेशक बोर्ड द्वारा पारित संकल्प की एक प्रमाणित प्रति;

(ii) जहाँ लागू हो, वहाँ करार / संयुक्त उद्यम करार की प्रमाणित प्रति जहाँ इन विनियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए उक्त करार / संयुक्त उद्यम करार में संशोधन किये गये हों।

(4) 49 प्रतिशत से अधिक विदेशी निवेश से युक्त वर्तमान भारतीय बीमा कंपनी इन विनियमों के विनियम 5ख का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

अध्याय-II

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के ईक्विटी शेयरों का अंतरण) विनियम, 2015 का संशोधन

6. फार्म बी में

क. पंक्ति 16 में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगाः

"16. *जहाँ भारतीय बीमा कंपनी के पास विदेशी निवेश है, वहाँ बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000 के विनियम 5क के अनुपालन की स्थिति। (इसके संबंध में एक संक्षिप्त नोट संलग्न करें)*"।

ख. पंक्ति 17 में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगाः

" *17. जहाँ भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी निवेश 49 प्रतिशत से अधिक है अथवा अधिक होगा, वहाँ बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000 के विनियम 5ख के अनुपालन की स्थिति (इसके संबंध में एक संक्षिप्त नोट संलग्न करे)*"।

अध्याय-III

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाली भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी निर्गम) विनियम, 2015 का संशोधन

7. विनियम 5 के उप-विनियम (2) के खंड (vi) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"भारतीय बीमा कंपनियाँ (विदेशी निवेश) नियम, 2015 और इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये किन्हीं दिशानिर्देशों का अनुपालन;"।

8. विनियम 7 के खंड (ख) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्रवर्तक(कों) और / या निवेशक(कों) द्वारा शेयरधारिता के मंदन अथवा नई पूँजी के निर्गम के परिणामस्वरूप, आवेदक कंपनी बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000 के विनियम 5क और / या 5ख का अनुपालनकर्ता नहीं होगी"।

9. फार्म ए में, आवेदन के अनुबंध के पैरा 13 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"भारतीय बीमा कंपनियाँ (विदेशी निवेश) नियम, 2015 के अनुपालन की पुष्टिः"

मेसर्स .... इसके द्वारा पुष्टि करती है कि वह भारतीय बीमा कंपनियाँ (विदेशी निवेश) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 (7ए) (बी) तथा प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये विनियमों और किन्हीं दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं का अनुपालनकर्ता है एवं इस आवेदन के अनुसार पूँजी के निर्गम के बाद इनका अनुपालनकर्ता होना जारी रखेगी।"

अध्याय-IV

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय करनेवाली भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी निर्गम) विनियम, 2015 का संशोधन

10. विनियम 5 के उप-विनियम (2) के खंड (vi) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा,-- अर्थात् :-

"भारतीय बीमा कंपनियाँ (विदेशी निवेश) नियम, 2015 और इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये किन्हीं दिशानिर्देशों का अनुपालन;"।

11. विनियम 7 के खंड (ख) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्रवर्तक(कों) और / या निवेशक(कों) द्वारा शेयरधारिता के मंदन अथवा नई पूँजी के निर्गम के परिणामस्वरूप आवेदक कंपनी बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000 के विनियम 5क और / या 5ख का अनुपालनकर्ता नहीं होगी"।

12. फार्म ए में, आवेदन के अनुबंध में, पैरा 13 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"भारतीय बीमा कंपनियाँ (विदेशी निवेश) नियम, 2015 के अनुपालन की पुष्टिः

मेसर्स .... इसके द्वारा पुष्टि करती है कि वह भारतीय बीमा कंपनियाँ (विदेशी निवेश) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 (7ए) (बी) तथा प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये विनियमों और किन्हीं दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं का अनुपालनकर्ता है एवं इस आवेदन के अनुसार पूँजी के निर्गम के बाद इनका अनुपालनकर्ता होना जारी रखेगी।"

टी. एल. अलामेलु, पूर्णकालिक सदस्य (गैर-जीवन बीमा)

[विज्ञापन-III/4/असा./145/2021-22]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 7th July, 2021

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Indian Insurance Companies) (Amendment) Regulations, 2021

F. No. IRDAI/ Reg/6/178 /2021.— In exercise of the powers conferred by clauses (a), (db) and (zd) of sub-section 2 of section 114A read with Section 3 and 6A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938)

and sections 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority hereby makes the following regulations, namely: -

Objective: The objective of these regulations is to harmonise the provisions of various regulations applicable to insurance companies with Insurance (Amendment) Act, 2021 read with Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015 by amending the corresponding regulations which are mentioned herein.

1. **Short Title and commencement:**

i. These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Indian Insurance Companies) (Amendment) Regulations, 2021.

ii. These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

CHAPTER I

Amendment to Insurance Regulatory and Development Authority (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2000

2. After regulation 5, the following regulations shall be inserted, namely: -

*"**Requirement of Resident Indian citizenship for Directors, Key Management Persons, etc.***

5A. In an Indian Insurance Company having foreign investment, —

(a) a majority of its directors,

(b) a majority of its Key Management Persons, and

(c) at least one among the chairperson of its Board, its managing director and its Chief Executive Officer, shall be Resident Indian Citizens.

Explanation: *For the purpose of this regulation, the expression "Resident Indian Citizen" shall have the same meaning as assigned to it in clause (o) of sub-rule (1) of rule 2 of Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015.*

Requirements for foreign investment exceeding forty-nine percent

5B. In an Indian Insurance Company having foreign investment exceeding forty-nine per cent. ,—

(a) for a financial year for which dividend is paid on equity shares and for which at any time the solvency margin is less than 1.2 times the control level of solvency, not less than fifty percent of the net profit for the financial year shall be retained in general reserve; and

(b) not less than fifty per cent of its directors shall be independent directors, unless the chairperson of its Board is an independent director, in which case at least one-third of its Board shall comprise of independent directors.".

3. In Regulation 10,

a. In clause (e) of sub-regulation (2), the words "**forty-nine percent"** shall be substituted with words **"seventy-four percent".**

b. In sub-regulation (2), clauses (f) and (g) shall be omitted.

c. In sub-regulation (2), after clause (f), the following clause shall be inserted, namely: -

"(fa) In case the applicant has foreign investment, an affidavit by the managing director, chief executive officer or whole-time director and the promoters of the applicant certifying that the requirement of regulation 5A shall be complied with.".

d. In sub-regulation (2), after clause (g), the following clause shall be inserted, namely:

"(ga) In case, the applicant has foreign investment exceeding forty-nine percent, an affidavit by the managing director, chief executive officer or whole-time director and the promoters of the applicant certifying that the requirement of regulation 5B shall be complied with."

4. Regulations 29, 30 and 31 shall be omitted.

5. After regulation 31, the following regulation shall be inserted, namely: -

"31A. (1) Every Indian Insurance Company having foreign investment, existing on or before the date of commencement of the Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Amendment Rules, 2021, shall within one year from the commencement of the rules, comply with the requirements of the provisions of regulation 5A of these regulations.

(2) An undertaking confirming compliance with provisions of Regulation 5A shall be filed by the Indian Insurance Company duly signed by the Chief Executive Officer and Chief Compliance Officer within 45 days from the date of the meeting of the Board of Directors, whereat such compliance has been confirmed.

(3) Every undertaking shall be accompanied by:

(i) A certified copy of resolution passed by the Board of Directors confirming the compliance of sub-regulation (1);

(ii) Where applicable, certified copy of the agreement / Joint venture Agreement where amendments to the agreement / joint venture agreement have been carried out to give effect to the provisions of these regulations.

*(4) An existing Indian Insurance Company with foreign investment exceeding 49 percent shall ensure compliance with regulation 5B of these regulations."***.**

CHAPTER-II

Amendment to Insurance Regulatory and Development Authority of India (Transfer of Equity Shares of Insurance Companies) Regulations, 2015

6. In Form B

a. In the row 16, the following shall be substituted:

"16. Where the Indian Insurance Company has Foreign investment, status of compliance of regulation 5A of Insurance Regulatory and Development Authority (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2000. (please attach a brief note on the same)".

b. In row 17, the following shall be substituted:

"17. Where the Foreign investment in an Indian Insurance Company exceeds or shall exceed 49 percent, status of compliance of regulation 5B of Insurance Regulatory and Development Authority (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2000. (please attach a brief note on the same)".

CHAPTER-III

Amendment to Insurance Regulatory and Development Authority of India (Issuance of Capital by Indian Insurance Companies Transacting Life Insurance Business) Regulations, 2015

7. Clause (vi) of sub-regulation (2) of regulation 5 shall be substituted with the following, namely: -

"Compliance with the Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015 and any guidelines issued by the Authority in this regard;".

8. Clause (b) of regulation 7 shall be substituted with the following, namely: -

"Consequent upon the dilution of shareholding by the promoter(s) and / or Investor (s) or issue of fresh capital, the applicant company shall not be compliant to the Regulation 5A and / or 5B of Insurance Regulatory and Development Authority (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2000".

9. In form A, para 13 of the annexure to Application shall be substituted with the following, namely:-

"Confirmation of compliance with Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015:

M/s …………………………. hereby confirms that it is compliant with the requirements of Section 2 (7A) (b) of the Act read with Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015 and Regulations and any guideline issued by the Authority and shall continue to be compliant after the issue of capital in accordance with this application.".

CHAPTER-IV

Amendment to Insurance Regulatory and Development Authority of India (Issuance of Capital by Indian Insurance Companies Transacting other than Life Insurance Business) Regulations, 2015

10. Clause (vi) of sub-regulation (2) of regulation 5 shall be substituted with the following, namely: -

"Compliance with the Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015 and any guidelines issued by the Authority in this regard;".

11. Clause (b) of regulation 7 shall be substituted with the following, namely: -

"Consequent upon the dilution of shareholding by the promoter(s) and / or Investor (s) or issue of fresh capital, the applicant company shall not be compliant to the Regulation 5A and / or 5B of Insurance Regulatory and Development Authority (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2000.".

12. In form A, in annexure to Application, para 13 shall be substituted with the following, namely:-

"Confirmation of compliance with Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015:

M/s …………………………. hereby confirms that it is compliant with the requirements of Section 2 (7A) (b) of the Act read with Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015 and Regulations and any guideline issued by the Authority and shall continue to be compliant after the issue of capital in accordance with this application.".

T. L. ALAMELU, Whole-time Member (Non-Life Insurance)

[ADVT.-III/4/Exty./145/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.07.09 11:21:23 +05'30'